140

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर म०प्र०

===

प्र०क्र०- R-2187-II/13 सन्-2013

गजेन्द्र सिंह तनय श्री जुझार सिंह बुन्देला

निवासी सर्किट हाउस के पीछे , छतरपुर

तह० व जिला छतरपुर म०प्र० .. .. आवेदक

बनाम

1- म०प्र० शासन

2- दयाराम तनय श्री करन्नू काछी

निवासी ग्राम बकायन तह० वजिला छतरपुर म०प्र०

3- प्रेम गुप्ता, रिपोर्टर, इण्डिया टी०वी०

छतरपुर तह० वजिला छतरपुर म०प्र० .. . अनावेदकगण

यह निगरानी तहसीलदारतहसील छतरपुर के राजस्व प्र०क्र० - 425/बी-121/2010-11 में अनुविभागीय अधिकारी रा: छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.12 से असंतुष्ट होकर म०प्र० भू राजस्व संहिता (संशोधन अधिनियम 2011) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

=================================

मान्यवर,

आवेदक सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि ख०न०- 640/1, रकबा 0.534 है० स्थित ग्राम बकायन तहसील - छतरपुर लम्बे समय से आवेदक के नाम वैध तरीके से राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज चला आया है । आवेदक एंव अनावेदक क्र0-2 से द्वेषभाव रखने वाले अनावेदक क्र0-3 द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2187-दो/2013 जिला छतरपुर गजेन्द्र विरूद्ध म.प्र.शासनव अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019 7.1.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 425/बी-121/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 19-03-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-06-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7.1.19
सदस्य